न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
265 / 2024	18.11.2020	20.08.2024

उनवान

1. विजेन्द्र पिता रामस्वरूप बाहेती, निवासी आजाद चौक, भीलवाडा

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

—— विपक्षी

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से दिनेश सिसोदिया।
2. विपक्षी की और से पैराकार सरकार।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा की हाल आराजी नम्बर 3592/1862 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 3592/1862 जिसके साबिक नम्बर 1873/2ख रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा थे व है जो तत्कालीन समय में प्रार्थी के पूर्वज बख्तावरमल वल्द हरिवल्लभ के नाम पर अन्य आराजियात के साथ अभिलिखित चली आ रही थी यहां यह अंकित करना सुसंगत होगा कि साबिक आराजी संख्या 1873/2ख के साथ साबिक आराजी संख्या 1870, 1874, 1875/2 और थी जो एक दूसरे से लगी होकर एक ही चक के रूप में चली आ रही थी अर्थात कुल किता 04 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा बख्तावरमल जी के तन्हा खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की होकर एक ही चक के रूप में बख्तावरमल जी बहैसियत खातेदार कृषक उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है इस हेतु साबिक जमाबन्दी एवं नक्शे की नकल हमराह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है।

कुछ वर्षो पूर्व तहसील भीलवाड़ा का सेटलमेंट हुआ उस सेटलमेंट में साबिक आराजी संख्या 1873/2ख रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा के नये नम्बर 3592/1862 कायम हुये तथा रकबा जरीब के अंतर के कारण 01 बीघा 02 बिस्वा कायम किया गया जिस बाबत् कोई विवाद नहीं है किन्तु सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने गफलत एवं लापरवाही करते हुये हॉल आराजी संख्या 3592/1862 को पूर्व की भांति राजस्व रेकार्ड में दर्ज न कर गलत तरीके से हॉल नक्शे में तरमीम कर दी जिसका सेटलमेंट विभाग को कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है सेटलमेंट विभाग बिना सक्षम न्यायालय के निर्णय/डिकी/आदेश के कोई किसी प्रकार की तरमीम एवं इन्द्राज राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में नहीं कर सकता है सेटलमेंट का सीधा सा अर्थ प्रविष्टी एवं इन्द्राज का दौहरान मात्र होता है किन्तु सेटलमेंट विभाग ने अपने अधिकारक्षेत्र से परे जाकर राजस्व नक्शे में साबिक आराजी संख्या 1873/2ख को पूर्ववत की भांति राजस्व नक्शे में दर्ज न कर गलत तरीके से अन्य स्थान पर हॉल नक्शे में तरमीम कर दिया जो सर्वथा गलत होकर अवैध है तथा प्रार्थी पुनः पूर्ववत की भांति हॉल आराजी संख्या 3592/1862 को राजस्व नक्शे में दर्ज कराने का अधिकारी है क्योंकि प्रार्थी साबिक नक्शे अनुसार ही आराजी संख्या 3592/1862 पर काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है।

प्रार्थी ने अभी कुछ समय पूर्व दिनांक 18.03.2020 को साबिक आराजियात एवं हॉल आराजी संख्या 1862, 1863, 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870/1, 1875/2मी., 1800/2, 1875/2मी., 1873/2मी. 1872/2मी., 1873/2ख का राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे की प्रति प्राप्त की तो उक्त हॉल नक्शे में आराजी संख्या 3592/1862 को गलत जगह तरमीम करने की जानकारी हुयी त्योंहि प्रार्थी ने विपक्षी के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत कर हॉल आराजी संख्या 3592/1862 को पुनः पूर्ववत की भांति साबिक नक्शे अनुसार तरमीम कर दर्ज करने हेतु कहा किन्तु बावजूद प्रार्थी के विधिवत प्रार्थनापत्र देने के उपरांत भी विपक्षी द्वारा आज दिन तक नक्शे में कोई तरमीम पूर्ववत की भांति नहीं की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान राजस्व नक्शें में हाल आराजी नम्बर 3592/1862 रकबा 01–17 बीघा को पूर्ववत की भांति हाल नजरी नक्शें में तरमीम कर दर्ज किये जाने आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2072–75 में आराजी नम्बर 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 3592/1862 कुल किता 06 कुल रकबा 04–04 बीघा भूमि खातेदार राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप 1/2, विजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप बाहेती 1/2 महाजन सा0 देह खातेदार की संलग्न प्रस्तुत की है। इसके साथ ही नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति भूप्रबन्ध विभाग का मिलान खसरा नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा सम्वत् 2018–21 बगतावरमल वल्द हरिवल्लभ महाजन के आराजी नम्बर 1870, 1874, 1875/2, 1873/2ख कुल किता 04 कुल रकबा 08–11 बीघा भूमि की जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की है। साबिक आराजी नम्बर 1870, 1874 1875/2, 1873/2ख के नक्शें की फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये विपक्षी की और से बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम भीलवाडा की आराजी नम्बर 3592/1862 साबिक आराजी नम्बर 1873/2ख से बना होकर साबिक आराजी नम्बर 1870, 1875/2 के दक्षिणी दिशा में आराजी नम्बर 1873/2ख एक दूसरे से लगायत थे। वर्तमान नक्शा में आराजी नम्बर 3592/1862 को आराजी नम्बर 1935 से लगती हुई दर्ज नहीं कर भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शें में इसी आराजी नम्बर 1862 में अन्य स्थान पर दर्ज की हुई है। जवाब के साथ पटवारी हल्का भीलवाडा, भू अभिलेख निरीक्षक भीलवाडा की विस्तृत जॉच रिपोर्ट, जमाबन्दी, सम्वत् 2018–21 फोटोप्रति, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 की फोटोप्रति, साबिक आराजी नम्बर 1873/2ख के हाल आराजी नम्बर 3592/1862 के मिलान खसरें की फोटोप्रति भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान खसरा ग्राम भीलवाडा सम्वत् 2025 में अंकित हाल आराजी नम्बर 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 की फोटो प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये ग्राम भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 1873/2ख रकबा 01–17 बीघा भूमि जो राजस्व नक्शें में 1874 से लगती हुई है। जिसे हाल आराजी नम्बर 1935 के नक्शें अनुसार तरमीम नहीं करके साबिक आराजी नम्बर 1873/2ख के हाल आराजी नम्बर 3592/1862 को आराजी नम्बर 1862 के स्थान पर दर्ज कर दी गई है। जो त्रुटिपूर्ण है जिसे साबिक नक्शे में आराजी नम्बर 1873/2ख के स्थान पर हाल आराजी नम्बर 3592/1862 को हाल आराजी नम्बर 1935 के समीप नक्शें में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों को भलीभांति परीक्षण किया गया ग्राम भीलवाडा को आराजी नम्बर 1873/2ख रकबा 01–17 बीघा भूमि बगतावरमल पिता हरिवल्लभ बाहेती निवासी भीलवाडा के नाम खातेदारी दर्ज होकर राजस्व नक्शें में साबिक आराजी नम्बर 1874 से लगती हुई तरमीमशुदा है जिसे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक आराजी नम्बर 1874 के हाल आराजी नम्बर 1935 से काफी दूर आराजी नम्बर 1862 के समीप आराजी नम्बर 3592/1862 हाल आराजी नम्बर नक्शें में तरमीम कर दी गई। उपरोक्त परीक्षण अनुसार ग्राम भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 1873/2ख रकबा 01–17 बीघा के हाल आराजी नम्बर 3592/1862 रकबा 01–02 बीघा भूमि की वर्तमान राजस्व नक्शें में तरमीम आराजी नम्बर 1862 में की हुई है। जबकि साबिक आराजी नम्बर 1873/2ख की राजस्व साबिक नक्शें में तरमीम साबिक आराजी नम्बर 1874 से लगती हुई है। लेकिन आराजी नम्बर 1873/2ख के हाल आराजी नम्बर 3592/1862 की राजस्व नक्शें में तरमीम साबिक आराजी नम्बर 1874 के हाल आराजी नम्बर 1935 से लगती हुई नहीं करके हाल आराजी नम्बर 1862 के अन्य भाग में कर दी गई जो त्रुटिपूर्ण हैं जिसे साबिक नक्शें के आधार पर हाल नक्शें में तरमीम दुरूस्ती की जाना न्यायोचित प्रतीत होती है उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर ग्राम भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 1873/2ख रकबा 01–17 बीघा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3592/1862 रकबा 01–02 बीघा भूमि की राजस्व नक्शें में तरमीम हाल आराजी नम्बर 1862 के समीप से हटाकर साबिक आराजी नम्बर 1874 के हाल आराजी नम्बर 1935 के लगती हुई वर्तमान राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 3592/1862 की तरमीम करने के आदेश प्रदान किये जाते है। नक्शें दुरूस्ती से कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शें में तरमीम दुरूस्ती कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा